न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धापगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/172
दायरा तिथि : 04.02.2022
आदेश तिथि : 17-6-2022

प्रार्थी :–
बाबुलाल पुत्र पूनमाजी जाति सुथार जांगीड ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. स्व. देवाराम पुत्र कानाजी सुथार निवासी भन्दर के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण:–
   1/1 चम्पा पत्नि स्व. देवाराम
   1/2 रूपाराम पुत्र स्व. देवाराम
   1/3 अमृत पुत्र स्व. देवाराम
   1/4 जुजाराम पुत्र स्व. देवाराम
   1/5 इन्द्रकुमार पुत्र स्व. देवाराम तमाम जाति सुथार जांगीड ब्राहमण निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति:–
1. श्री अमृत परिहार ..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड..... अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से

आदेश

दिनांक 17-6-2022

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

:

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 937, 938, 939, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969,,970, 971, 974 कुल खसरा–15 कुल रकबा 2.96 हैक्टर में निहित प्रार्थी के 1/12 हिस्सा के सबंध में बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में नाजायज हरकतो के द्वारा भूमि को वेस्ट, डेमेज नहीं करे, विधिवत जोत विभाजन के अभाव में विशेष भू0 भाग पर निर्माण कार्य नहीं करे, बेचान हस्तांतरण नहीं करे, रहन नहीं रखे। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में निहित सह खातेदारी हक हकूको की भूमि में नाजायज हरकतो के द्वारा बाधा खडी नहीं करे, इस हेतु वाद के निर्णत तक वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी की प्रति, नक्शा ट्रैस की प्रति, मौका स्थिति के फोटो पेश किये गये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण की ओर पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा द्वारा वर्णित आराजी का बंटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद संख्या 254/2009 बाबुलाल बनाम टीपू गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा नहीं आता है प्रार्थी के स्व. पिता पूनमाजी ने अपना विधमान हिस्सा को दिनांक 4.05.1964 को स्व.कानाराम व स्व. देवाराग को बेचान कर उपरोक्त वर्णित आराजी में विद्यमान खसरा नंबर 938 रकबा 0.29 हैक्टर व खसरा नंबर 964 रकबा 0.23 हैक्टर का कब्जा स्व.देवाराम को दिनांक 4.5.1964 को सुपुर्द कर दिया तब से स्व0 देवाराम के जीवनकाल तक देवाराम का व उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण का लगातार शान्तीपूर्वक बिना किसी रोक टोक के प्रार्थी की जानकारी में होते हुए एक मात्र कब्जा अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के जवाब में प्रतिवादी/अप्रार्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम भी पेश किया हुआ है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा बेचाननामा दिनांक 4.05.1964 के आधार पर खसरा नंबर 938 व 964 पर एक मात्र कब्जा होने से खातेदारी अधिकार मांगे गये है। यही नहीं पूर्व में अप्रार्थी द्वारा पेश किये वाद संख्या 110/98 के साथ में अप्रार्थी द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत आवेदन पेश किया गया, जिस प्रकरण संख्या 140/98 अनवान देवाराम वगैरा बनाम बाबु वगैरा को न्यायालय द्वारा दिनांक 5.2.1999 को स्वीकार करते हुये वादग्रस्त आराजी भन्दर के खसरा नंबर 938 एवं 964 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जिसा आदेश के विरूद्व अपीलान्ट बाबू द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2000 को खारिज की गई।

पेज लगातार...

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण RCMS No 2022/172

अनवान बाबूलाल बनाम देवाराम के कामु वगैरा वगैरा

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी भी दिनांक 11.02.2004 को खारिज करते हुये इस न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया। इस प्रकार दिनांक 05.02.1999 को अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम भन्दर के खसरा नंबर 938 व 964 के संबंध में पारित स्थगन आदिनांक तक प्रभावी होने के बावजूद वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पुनः उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बाली के आदेश दिनांक 05.02.1999 की प्रति, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के आदेश दिनांक 22.11.2000 की फोटो प्रति, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 11.02.2004 की फोटो प्रति, दीवानी वाद आहरण के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2008 की प्रति, आदेशिका दिनांक 27.02.2008 की प्रति, प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा की फोटो प्रति दिनांक 29.1.2008, आदेशिका दिनांक 29.01.2008 की फोटो प्रति, राजीनामा दिनांक 29.01.2008 की प्रति, बयान प्रार्थी बाबूलाल दिनांक 16.06.1998 की प्रति, लिखत बेचाननामा दिनांक 4.5.1964 की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम भन्दर स्थित भूमि खसरा नंबर 937, 938, 939, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969,.970, 971, 974 कुल खसरा–15 कुल रकबा 2.96 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारान् की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा निहित है, जिसके विभाजन एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिस वाद का जवाब भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर रखा है, तथा जवाब के साथ काउण्टर क्लेम भी पेश किया गया था। जिस काउण्टर क्लेम को खारिज किये जाने के लिये प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 211 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 08 नियम 6 ए सी.पी.सी. पेश किया गया था। जिस आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2012 को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी पक्ष के काउण्टर क्लेम को खारिज किया जा चुका है। वकील प्रार्थी द्वारा यह भी दलील दी गई कि अप्रार्थी द्वारा जिस स्थगन आदेश का जवाब में उल्लेख किया जा रहा है, वह स्थगन आदेश तो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल राजस्व वाद संख्या 110/98 अनवान देवाराम बनाम बाबूलाल दिनांक 27.02.2008 को जरिये विड्रोवल प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने से उस वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः प्रस्तुत विभाजन के वाद एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में कोई पक्का निर्माण नहीं करे इस हेतू अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादग्रस्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है, जिस पर बिना विभाजन के किसी पक्षकार द्वारा पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण को मना किये जाने पर भी निर्माण कार्य चालू है। प्रार्थी पक्ष द्वारा बहस के दौरान् मौके के फोटो चित्र भी पेश किये। तथा दौराने बहस निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. RRT 2002(2) अनवान कान्हा के का.मु. बनाम किशन वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 04 मार्च 2002 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 53 एवं 224 विभाजन के लिये वाद– वादी द्वारा द्वितीय अपील– वादी ने भूमि में उसके 1/2 हिस्से का दावा किया– 40 वर्ष से आधिपत्य में होने से प्रतिवादी ने मुखलफाना कब्जे का अभिवाक् लिया– वाद डिक्री हुआ– राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय उलटा– वादी के गोद जाने के विषय में प्रतिवादी का अभिवच्चन नहीं– राजस्व अभिलेख में पक्षकार सह काश्तकार दर्ज हैं– विधिमान्य दत्ताक की साक्ष्य नहीं– सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्व मुखलफाना कब्जे का दावा करने का अधिकारी नहीं हैं– अभिनिर्णीत, आलोच्य डिक्री पारित करने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई त्रुटि की हैं एवं अपास्त किया। (पैरा 6 एवं 7)
2. RRT 2014–15 (Supp.) अनवान राम प्रताप बनाम कमलाबाई वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2015 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53– विभाजन हेतु वाद– प्रारम्भिक डिक्री पारित की– अनरजिस्टर्ड विक्रय हेतु करार का कोई मूल्य नहीं– "बी" की भूमि पर " आर.पी." का कब्जा विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता– अन रजिस्टर्ड विक्रय हेतु करार के आधार पर स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते– निर्णीत, अपील सारहीन हैं व खारिज की। (पैरा 8, 9, 10)
3. RJT 2016 (2) अनवान अशोककुमार बनाम पवनकुमार में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2015 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 39, नियम 01 व 02– अस्थायी निषेधाज्ञा– विभाजन हेतु वाद– विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की लेकिन अपीलीय न्यायालय ने आदेश उलटा– सामान्य पद्वति सम्पति को जैसी है, सुरक्षित रखा है– निर्णीत, अंस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने में विचारण न्यायालय न्याय संगत था– आदेश अपास्त किया। (पैरा 7)

पेज लगातार.......03

उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/172

अनवान बाबुलाल बनाम देवाराम के कामु. चम्पा वगैरा

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

4. RRT 2004(2) अनवान छित्तरलाल वगैरा बनाम नारायण वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2004 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 –धारा 53– विभाजन हेतु वाद विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया– अपील भी खारिज हुई– पक्षकार सह खातेदार हैं– विचारण न्यायालय ने गाँव कालादेवा की विवादित भूमि में 1/4 व 3/4 हिस्सा होना माना– विवादित भूमि पर रेसपोण्डेन्ट का कब्जा– सह खातेदार की भूमि पर एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त आकर्षित नहीं होता– पक्षकारों के हिस्से अनुसार विभाजन के लिये प्रारम्भिक डिक्री पारित करने का निर्देश दिया– मामला प्रति प्रेषित किया। (पैरा 8)
5. RRT 2002 (2) अनवान faize(Mst.) v/s K.j. International Export Division Raghuveerpura में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2002 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 212– मृतक " के " भूमि का खातेदार था– वादी प्रार्थीगण के बजाय " के" के भाई के नाम पर नामान्तरण प्रमाणित किया– प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या स्वत्व एवं इक रखते हैं– सम्पति की प्रकृति के बदले जाने की पूर्ण सम्भावना– अभिनिर्णीत, अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की एवं अप्रार्थीगण को निर्माण करने व भूमि के अन्तरित करने से पाबन्द कियां (पैरा 6)
6. RRT 2020(1) अनवान काशीराम बनाम नाना वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 02 सितम्बर 2019 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 53– विभाजन हेतु वाद डिक्री किया और डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्ट की गई– अपीलाण्ट ने जवाबदावा पेश किया तथा एडवोकेट्स की मौजूदगी में तनकियॉ विरचित की– साक्ष्य के समय अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित नहीं हुआ और एक पक्षीय आदेश पारित किया– वादी ने सभी तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा होना स्वीकार किया– अपीलाण्ट ने अभिवचन किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, स्वीकार योग्य नहीं हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते– समवर्ती निष्कर्ष– निर्णीत, अपील सारहीन हैं व खारिज की। (पैरा 7)
7. RRT 2017(2) अनवान कमलेश बावरी (श्रीमति) बनाम रणजीतसिंह वगैरा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2017 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 212– अस्थायी निषेधाज्ञा– प्रार्थी उसके पिता के जीवनकाल में जो कि जीवित है, कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं हैं– रेसपोण्डेन्ट नंबर 01 की स्व. अर्जित सम्पति है और वह रेकॉर्डेड खातेदार है– वादिया पुत्री अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी अधिकार का दावा नही कर सकती– तथ्यों के सामवर्ती निष्कर्ष– निर्णीत, आदेश में अवैधता या शिथिलता या क्षैत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है। (पैरा 8, 9,10)
8. RRT 2003(1) अनवान मालीराम वगैरा बनाम राधेश्याम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 को पारित निर्णय की प्रति, जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 212– पक्षकारों का पैतृक सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा तथा वे सह–काश्तकार हैं– वादी ने इस आधार निषेधाज्ञा चाही के प्रतिवादीगण विवादित भूमि से खडे हुए वृक्ष काट रहे हैं– विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ– एक सह काश्तकार दूसरे सह–काश्तकार के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं यदि उनके द्वारा किया गया कार्य दूसरे स्वामी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव डालता हो– प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया– प्रतिवादीगण न तो विवादित भूमि पर निर्माण करेगें न कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करेगें वाद के निस्तारण तक प्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा।(पैरा 6, 7)
9. AIR 1983 SUPREME COURT 742 जिसके अनुसार– Civil p.c.(5 of 1908), O39, R.1 -Interim injuction-Dispute about Title of land-Plaintiff and defendant found to be in possession of about half portion of disputed land- Held, injection restraining defendant from putting up construction on entire land would be justified- situation might become irreversible by the time dispute is decided if injunction is not granted. Appeals Nos. 417 and 108 of 1982, D/-3-9-1982 (para 6)

वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी श्री अगजद अली ने बहरा में अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम भंदर में वर्णित आराजी का बंटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद संख्या 254/2009 बाबुलाल बनाम टीपू गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा नहीं आता है प्रार्थी के स्व. पिता पूनमाजी ने अपना विधमान हिस्सा को दिनांक 4.05.1964 को स्व.कानाराम व स्व. देवाराम को बेचान कर उपरोक्त वर्णित आराजी में विद्यमान खसरा नंबर 938 रकबा 0.29 हैक्टर व खसरा नंबर 964 रकबा 0.23 हैक्टर का कब्जा स्व.देवाराम को दिनांक 4.5.964 को सुपुर्द कर दिया तब से स्व0 देवाराम के जीवनकाल तक देवाराम का व उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण का लगातार शान्तीपूर्वक

पेज लगातार...04

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner